

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई 2023 — श्रावण 3, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-14/2023/सात-4.- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उपखण्ड की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उपखण्ड सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान उप-खण्ड	नवीन उप-खण्ड	वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील	नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	तहसील- मनेन्द्रगढ़, केल्हारी	तहसील- केल्हारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग पाण्डेय, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 25th July 2023

NOTIFICATION

No. F 11-14/2023/Seven-4. - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Sub-Division specified in column (3), creates a new Sub-Division specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely:-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Sub-Division	New Sub-Division	Tahsil included in Present Sub-Division	Tahsil included in new Sub-Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	Manendragarh	Kelhari	Tahsil- Manendragarh, Kelhari	Tahsil- Kelhari

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURAG PANDEY, Special Secretary.